न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कमला अलारिया, आर0 ए0 एस0

सीलिंग शिकायत प्रकरण सं0 02/2019

मुनीराम पुत्र श्री माहीराम निवासी वार्ड नं. 16 अनूपगढ़

बनाम

किशनलाल पुत्र दीवानचंद कामरा जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 अनूपगढ़
अप्रार्थी

उपस्थित : श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य
श्री राजकुमार नागपाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक : 27.09.2022

माननीय संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर के प.5(2)राज./ग्रुप–8/2019/जयपुर दिनांक 05.09.2019 के द्वारा किशनलाल पुत्र दीवानचंद जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 अनूपगढ़ के परिवार की सम्पति की जॉच करवा कर सीलिंग सीमा से अधिक सम्पति को बहक सरकार लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में दिनांक 26.09.2019 को प्राप्त हुआ है।

प्रार्थना पत्र के सक्षेंप में सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी किशनलाल पुत्र दीवानचंद जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 18 अनूपगढ़ का एक व्यावसायिक पेशा व्यक्ति है। अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अवैध रूप से अपने स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों अपनी पत्नि, पुत्र व पुत्रवधु के नाम से तहसील अनूपगढ़ के विभिन्न चकों में करीब 156 बीघा कृषि भूमि धारित कर रखी है तथा अप्रार्थी अधिकाश भूमि में अवैध रूप से ईंट भट्टे व बाग इत्यादि लगवा रखे है। अप्रार्थी किशनलाल व उसकी पत्नि स्नेहलता/निर्मलादेवी, पुत्र विराग कामरा, पुत्रवधु भावना पत्नि विराग कामरा, नेहा पुत्री किशनलाल पत्नि पंकज कुमार के नाम से निम्न भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है :–

किशनलाल के नाम कृषि भूमि:–

चक नं0	मु. नं.	पत्थर संख्या	किला नं.	रकबा
79 जी.बी.	29	293/443	1, 6 ता. 12, 19 ता. 25	3.518 हैक.
79 जी. बी	10	284/431	3,8,13, 18, 23	1.265 हैक.
79 जी. बी	13	287/431	16 ता. 25	2.530 हैक.
79 जी. बी	36	286/32	1 ता. 25	कुल 6.074 में से 3.341 हैक.
79 जी. बी	19	293/431	23, 24, 25	0.683 हैक0
79 जी. बी	20	294/431	1 ता. 13, 25	3.101 हैक0
79 जी. बी	29	293/432	2 ता. 5	0.936 हैक.
			कुल	15.374 हैक0

विराग कामरा पुत्र श्री किशनलाल के नाम से निम्न भूमि बताई है:

चक नं0	मु. नं.	पत्थर संख्या	किला नं.	रकबा
79 जी.बी.	29	293/432	15, 16	0.354 हैक.
79 जी. बी	42	285/433	1 ता. 3, 8 ता. 13, 18 ता. 23	3.795 हैक.

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

79 जी. बी	20	294 / 431	13 ता. 25	3.099 हैक.
79 जी. बी	29	293 / 432	13,14, 17, 18	1.012 हैक.
3 पी.एम..	23	56 / 15	1 ता. 25	6.325 हैक. मे से 2. 619 हैक.
3 पी.एम.	21	56 / 31	11 ता. 25	3.795 हैक.
3 के एस एम	29	285 / 398	1 ता. 25	6.325 हैक. में से 1. 645 हैक
			कुल	16.319 हैव0

स्नेहलता पत्नि किशनलाल के नाम निम्न भूमि बतायी है:–

चक नं0	मु. नं.	पत्थर संख्या	किला नं.	रकबा
87 जी.बी.	41	288 / 426	13 ता. 25	3.037 हैक. में से 1.797 हैक.

भावना पत्नि विराग कामरा के नाम निम्न भूमि बतायी है:–

चक नं0	मु. नं.	पत्थर संख्या	किला नं.	रकबा
87 जी.बी.	41	288 / 426	13 ता. 25	3.037 हैक. में से 1.240 हैक.

नेहा पत्नि पकंज कुमार पुत्री किशनलाल

चक नं0	मु. नं.	पत्थर संख्या	किला नं.	रकबा
3 के. एस. एम	29	385 / 398	1 ता. 25	6.325 हैव में से 4.680 हैक..

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा धारित उपरोक्त भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है जो आवाप्त की जाकर भूमि बहक सरकार ली जावे ताकि अनुसूचित जाति के लोगों की बेनामी जमीन को निरस्त किया जाकर कब्जा बहक सरकार प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

शिकायत प्रार्थना पत्र होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। तहसील से भूमि एवं परिवार के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी को सबूत एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य रेकार्ड को रेकार्ड पर लिया गया।

अप्रार्थी ने जवाब में कथन किया है अप्रार्थी किशन लाल के नाम कुल 15.374 है0 वर्णित की गयी है जो स्वीकार नहीं हैं। अप्रार्थी के धारण में दिनांक 25.02.1958, 01.04.1966 को भूमि नहीं थी। दिनांक 01.01.1973 को अप्रार्थी के धारण में तहसील रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 के अनुसार 5.820 है0 भूमि चक 79 जी.बी. में थीं उक्त भूमि में से 1.366 है0 भूमि पुत्र विराग कामरा को जरिये दान–पत्र दिनांक 09.08.2007 को दे दी थी। दान में दी गयी भूमि में से 1.012 है0 भूमि गैरमुमकिन ईन्ट भट्टा विराग ने स्वयं के नाम से संपरिवर्तन करवा लिया। शेष 0. 354 है0 भूमि विराग के पास रही। अप्रार्थी किशन लाल ने 5.820 है0 भूमि में 0. 936है0 संपरिवर्तन करवाकर गैरमुगमिन ईन्ट भट्टा लगवा लिया। शेष 3.518 है0 भूमि अप्रार्थी के पास रही। अप्रार्थी के धारण में दिनांक 01.01.1973 को 3.518 है0 भूमि थी। पुराने सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 25.02.1958 व 01.04.1966 को भूमि नहीं थी। नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के अनुसार अप्रार्थी स्वयं के नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

3.341 है0 व पत्नी स्नेहलता के नाम से 8.627 है0 भूमि हैं। उसमें से चक 3 के एस एम की 4.680 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपनी पुत्री नेहा पत्नी पंकज कुमार को जरिये दान–पत्र दे दी है। उक्त भूमि को कम करने पर अप्रार्थी स्वयं व पत्नी के नाम से कुल भूमि 7.465 है0 भूमि शेष रहती है जो सीलिंग सीमा से कम है। अप्रार्थी के पुत्र विराग कामरा के नाम कुल 16.319 है0 भूमि व पत्नी भवना के नाम 1.240 है0 भूमि जो तहसील रिपोर्ट दिनांक 20.02.2022 एवं दिनांक 03.06.2022 के अनुसार पुराने सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 01.04.1966 व नये सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 01.01.1973 को भूमि नहीं थी। तहसील रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के अनुसार कुल 13.094 है0 भूमि है। इसमें से 1.645 है0 भूमि अपनी बहिन नेहा को जरिये दान–पत्र दिनांक 20.01.2007 को एवं 1.354 है0 भूमि दिनांक 07.02.2013 को विक्रय द्वारा स्थानान्तरित की गयी। इस प्रकार जरिये दान–पत्र 1.645 है0 व 1.354है0 जरिये विक्रय –पत्र कुल 2.999 है0 अन्तरित भूमि को कम करने पर शेष 13.094है0–2.999है0 = 10.095 है0 भूमि रहीं जो सीलिंग सीमा से कम है। नेहा पुत्री के नाम से कुल 4.680 है0 भूमि होने का कथन किया है। सीलिंग कानून में परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्री को परिवार का सदस्य नहीं माना गया है इसलिए अप्रार्थी से इसकी पुत्री को दान में मिली भूमि की गणना अप्रार्थी की भूमि के साथ नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थी , उसकी पत्नी एवं अप्रार्थी के पुत्र विराग के पास 01.04.1966, 01.01.1973 एवं वर्तमान में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक न होने के कारण हस्तगत शिकायत दाखिल दफतर फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि शिकायत में वर्णित अनुसार अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है। अतः अधिग्रहण की कार्यवाही की जावे।

शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर अपनी बहस आधारित करते हुए कहा कि शिकायत प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक है, जो अधिग्रहण की जानी चाहिये।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है तथा कहा है कि अप्रार्थी के धारण में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक नहीं है। शिकायत झूठी तथा गलत तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर गनन किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अप्रार्थी किशन लाल के नाम कुल 15.374 है0 भूमि है। अप्रार्थी के धारण में दिनांक 25.02.1958, 01.04.1966 को भूमि नहीं थी। दिनांक 01.01.1973 को अप्रार्थी के धारण में तहसील रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 के अनुसार 5.820 है0 भूमि चक 79 जी.बी. में भी थी। उक्त भूमि में से 1.366 है0 भूमि पूत्र विराग कामरा को जरिये दान–पत्र दिनांक 09.08.2007 को दे दी थी। दान में दी गयी भूमि में से 1.012 है0 भूमि गैरमुमकिन ईन्ट भट्टा विराग ने स्वयं के नाम से संपरिवर्तन करवा लिया। शेष 0.354 है0 भूमि विराग के पास रही। अप्रार्थी किशन लाल ने 5.820 है0 भूमि में 0.936है0 संपरिवर्तन करवाकर गैरमुममिन ईन्ट भट्टा लगवा लिया। शेष 3.518 है0 भूमि अप्रार्थी के पास रही। अप्रार्थी के धारण में दिनांक 01.01.1973 को 3.518 है0 भूमि पुराने सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 25.02.1958 व 01.04.1966 को भूमि नहीं थी। नवीनतम रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के अनुसार अप्रार्थी स्वयं के नाम 3.341 है0 व पत्नी स्नेहलता के नाम से 8.627 है0 भूमि है । उसमें से चक 3 के एस एम की 4.680 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपनी पुत्री नेहा पत्नी पंकज कुमार को जरिये दान–पत्र दे दी है। उक्त भूमि को कम करने पर अप्रार्थी स्वयं व पत्नी के नाम से कुल भूमि 7.465 है0 भूमि शेष रहती है जो सीलिंग सीमा से कम है। अप्रार्थी के पुत्र विराग कामरा के नाम कुल 16.319 है0 भूमि व पत्नी भवना के नाम 1.240 है0 भूमि जो तहसील रिपोर्ट दिनांक 20.02.2022 एवं दिनांक 03.06.2022 के अनुसार पुराने सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 01.04.1966 व नये सीलिंग कानून में निर्धारित दिनांक 01.01.1973 को भूमि नहीं थी। तहसील रिपोर्ट दिनांक 03.06.2022 के अनुसार कुल 13.094 है0 भूमि है। इसमें से 1.645 है0 भूमि अपनी बहिन नेहा को जरिये दान–पत्र दिनांक 20.01.2007 को एवं 1.354 है0 भूमि दिनांक 07.02.2013 को

अतिरिक्त जिला कलक्टर। सतर्कता
श्रीगंगानगर

विक्रय द्वारा स्थानान्तरित की गयी। इस प्रकार जरिये दान–पत्र 1.645 है0 व 1. 354है0 जरिये विक्रय –पत्र कुल 2.999 है0 अन्तरित भूमि को कम करने पर शेष 13. 094है0–2.999है0 = 10.095 है0 भूमि रहीं जो सीलिंग सीमा से कम है। नेहा पुत्री के नाम से कुल 4.680 है0 भूमि होने का कथन किया है। सीलिंग कानून में परिवार की परिभाषा में विवाहित पुत्री को परिवार का सदस्य नहीं माना गया है इसलिए अप्रार्थी से इसकी पुत्री को दान में मिली भूमि की गणना अप्रार्थी की भूमि के साथ नहीं की जा सकती। अतः अप्रार्थी , उसकी पत्नी एवं अप्रार्थी के पुत्र विराग के पास 01.04. 1966, 01.01.1973 एवं वर्तमान में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक न होने के कारण हस्तगत शिकायत दाखिल दफतर फरमाई जावें।

अप्रार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि गैरमुमकिन भूमि को सीलिंग सीमा निर्धारण करने के लिए गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। अपने इस तर्क के समर्थन में आर आर डी 1988 पेज 664 का न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया है, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि –

Raj. Tenancy Act, Section 5[24] Ghair mumkin rasta [gova] or ghair mumkin pahar, etc.do not fall within of Govt. unoccupied agricultural land.

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में गैरमुमकिन कृषि भूमि को कुल भूमि में शामिल कर सीलिंग सीमा निर्धारण हेतु गणना नहीं की जायेगी।

इस प्रकार, तहसीलदार, रायसिंहनगर की नवीनतम रिपोर्ट कमांक 334 दिनांक 02.02.2022 के अनुसार किशनलाल पुत्र दीवानचंद जाति अरोड़ा साकिन अनूपगढ़ के नाम भूमि दिनांक 01.01.1973 को 5.820 हैक्टेयर भूमि थी। अप्रार्थी द्वारा कुल 12.945 हैक्टेयर भूमि खरीद की गयी जिसमें से 1.366 हैक्टेयर हैक्टैयर भूमि अपने पुत्र विराग कामर जरिये दान पत्र हस्तांतरित कर दी गयी वर्तमान में अप्रार्थी के नाम 11,579 हैक्टेयर कुल भूमि दर्ज है जिसमें से 4.720 हैक्टेयर गैर मुमकिन ईंट भट्टा के नाम से दर्ज है। अप्रार्थी की पत्नि स्नेहलता के नाम कुल 8.627 हैक्टेयर भूमि जरिये खरीद प्राप्त की गयी जिसमें से चक 3 केएसएम की 4,680 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपनी पुत्री नेहा पत्नि पकंज कुमार को जरिये दानपत्र हस्तांतरित कर दी। वर्तमान में स्नेहलता के नाम 3.947 हैक्टेयर नाली दोयम भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार अप्रार्थी किशनलाल व उसकी पत्नि के नाम से कुल 6. 859 + 3.947 योग 10.806 हैक्टेयर नाली दोयम कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

अप्रार्थी के पुत्र विराग कामरा के नाम कुल 14.965 हैक्टेयर भूमि जरिये वसीयत, दान व बैयनामा से प्राप्त हुई। चक 3 केएसएम की 1.645 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि अपनी बहिन नेहा पत्नि पकंज कुमार को जरिये दानपत्र हस्तांतरित कर दी गयी । वर्तमान में विराग कामरा के नाम कुल 13.320 हैक्टेयर भूमि में से 4.111 हैक्टेयर भूमि गैर मुमकिन ईंट भट्टा दर्ज है। विराग कामरा की पत्नि भावना के नाम 1.240 हैक्टेयर भूमि जरिये खरीद हैं। इस प्रकार दोनो पति पत्नि के नाम 9.209+1.240 हैक्टेयर योग 10.449 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

अप्रार्थी किशनलाल पुत्र दीवानचंद की बहिन श्रीमती रेशम देवी पत्नि हीरानंद के नाम 1.175 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि, दूसरी बहिन श्रीमती निर्मला देवी पत्नि ओमप्रकाश के नाम 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि, तीसरी बहिन जानकी देवी पत्नि देवेन्द्र कुमार के नाम 3.705 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि व चौथी बहन श्रीमती राजरानी पत्नि कुंदनलाल के नाम 2.530 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि जरिये खरीद प्राप्त है। अप्रार्थी की पुत्री नेहा पत्नि पकंज कुमार के नाम 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड कृषि भूमि अपनी माता व भाई से जरिये दान पत्र प्राप्त है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारियान अप्रार्थी किशनलाल की बहिनों व पुत्री के नाम से दर्ज भूमि स्वयं खातेदारान द्वारा हिस्से ठेके पर काश्त करवायी जाती है एवं अप्रार्थी किशनलाल भी अपने चारों पारिवारिक सदस्यों के नाम की कृषि भूमि भी हिस्से ठेके पर काश्त करवाता है।

इस प्रकार, अप्रार्थी किशनलाल के परिवार में सीलिंग अधिनियम में निर्धारित दिनांक 25.02.1958, 01.04.1966 व 01.01.1973 को स्वयं के

प्राधिकृत (अति. कलक्टर) सतकता
श्रीगंगानगर

नाम 5.820 हैक्टेयर कृषि भूमि के अलावा अन्य किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि नहीं थी।

अतः उपरोक्त समस्त रिपोर्टस एवं रेकार्ड में आये तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी किशनलाल, उसकी पत्नि एवं अप्रार्थी के पुत्र विराम के कारण में दिनांक 01.04.1966 व 01.01.1973 को तथा वर्तमान में भूमि सीलिंग सीमा से अधिक न होने के कारण हस्तगत प्रकरण में कार्यवाहीहाजा समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) सत्यमेव जयते श्रीगंगानगर (राज.)

(कमला अमारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर।

Scanned with CamScanner